न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर लालसोट जिला दौसा

पीठासीन अधिकारी :— मनमोहन मीना, आर.ए.एस.
अति0 जिला कलक्टर, लालसोट

मुकदमा नंबर :— नया नंबर 2023/225

रजु दिनांकः :— 27.09.2023

1. सरकार जरिये तहसीलदार (लैण्ड होल्डर) तहसील लालसोट जिला दौसा
2. रामकिशन पुत्र कल्लूराम जाति मीना निवासी शिवसिंहपुरा तह. लालसोट
3. श्रीराम पुत्र रामसहाय जाति मीना निवासी शिवसिंहपुरा तह. लालसोट
4. मीठालाल पुत्र रामगोपाल जाति मीना निवासी शिवसिंहपुरा तह. लालसोट
5. रामकेश पुत्र बलदेव जाति मीना निवासी शिवसिंहपुरा तह. लालसोट
6. हरिराम पुत्र गैंदीलाल जाति मीना निवासी शिवसिंहपुरा तह. लालसोट

बनाम

1. श्यामलाल पुत्र जगदीश
2. सत्यनारायण पुत्र जगदीश
3. सीता पुत्री जगदीश पत्नी रामबाबू
4. बृजमोहन पुत्र सुवालाल
5. बद्री पुत्र सुवालाल
6. गिर्राज पुत्र रामस्वरूप
7. विनोद पुत्र रामस्वरूप
8. चमेली पुत्री रामस्वरूप पत्नी हजारीलाल
9. कंचन पुत्री रामस्वरूप पत्नी रामोवतार
10. जामोती पुत्री सुवालाल पत्नी राधेश्याम
11. लल्लू प्रसाद दत्तक पुत्र रामगोपाल

सभी जाति नाई निवासी शिवसिंहपुरा तहसील लालसोट जिला—दौसा।

उपस्थितः— 01. प्रार्थी सं0 1 की ओर से : पैरोकार सरकार
02. प्रार्थी सं0 2 लगायत 6 की ओर से : अधिवक्ता श्री अभयशंकर शर्मा
03. अप्रार्थी सं. 1 लगा. 4 व 6 लगा. 10 की ओर से : अधिवक्ता श्री रामबाबू शर्मा
04. अप्रार्थी सं. 11 की ओर से : अधिवक्ता श्री सी.बी.सिंह

निर्णय दिनांकः 15/7/24

प्रार्थना पत्र रिव्यू (पुनर्विलोकन) अन्तर्गत आदेश 47 नियम 1 सीपीसी

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी सं. 1 द्वारा एक प्रार्थना पत्र रिव्यू (पुनर्विलोकन) अंतर्गत आदेश 47 नियम 1 सीपीसी इस आशय का पेश किया कि प्रार्थी द्वारा दिनांक 20.10.2000 को पूर्व न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, दौसा में राजस्थान भू राजस्व

अति0 जिला कलक्टर
लालसोट (दौसा)

अधिनियम 1956 की धारा 82 के तहत रेफरेंस बउनवानी माफी मंदिर श्री ठाकुरजी गोपालजी ग्राम शिवसिंहपुरा बनाम जगदीश वगैरा दायर किया गया जो न्यायालय में रेफरेंस प्रकरण संख्या 8/2000 दर्ज हुआ तथा उक्त रेफरेंस स्वीकार कर दिनांक 27.07.2004 को अभिशंषा के साथ माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में अग्रेषित किया गया। माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर द्वारा रेफरेंस LR/4768/2004 दौसा सरकार जगदीश पर दर्ज किया गया बाद सुनवाई दिनांक 09.02.2012 के इस निर्देश के साथ अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा को लौटाया गया कि वे राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 24.05.2007 व उसके प्रकाश में मण्डल द्वारा जारी पत्र दिनांक 06.01.2010 के आधार पर जांच करें। जांच उपरान्त प्रकरण अगर रेफरेंस योग्य हो तो मण्डल को प्रेषित करें। पूर्व न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा में उक्त प्रकरण की पत्रावली मय निर्णय प्राप्त होने पर पुनः प्रकरण सं. 2/2014(8/2000) पर दर्ज रजिस्टर किया गया तथा उभय पक्ष को सुनवाई के बाद दिनांक 19.07.2016 को आदेश प्रतिपादित किया कि "तहसीलदार लालसोट को इस निर्देश के साथ लौटाया जाता है कि वे राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 24.05.2007 व उनके प्रकाश में माननीय राजस्व मण्डल के पत्र दिनांक 06.01.2010 व माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर की वृहत्तर पीठ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 15.07.2015 के आधार पर प्रकरण की जांच करे। जांच उपरान्त प्रकरण यदि रेफरेंस योग्य हो तो प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत करे।" उक्त निर्णय के साथ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा ने अपनी पत्रावली सहित पत्र क्रमांक कोर्ट/एडीएम/2018/8508 दिनांक 16.03.2018 से इस कार्यालय में भेज दी गई। उक्त निर्णय के क्रम में पीठासीन अधिकारी द्वारा अपने पत्रांक भू.अ./1394 दिनांक 15.05.2018 से जमाबंदी पर लगे नोट हटाने का निर्देश दिया। जिसकी पालना हो चुकी है।

प्रार्थी सं. 1 ने आगे अभिवचन किए है कि दिनांक 01.04.2021 को आम जनता शिवसिंहपुरा ने आवेदन पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त मंदिर की भूमि को भूमाफियां गिरोह द्वारा खुर्द बुर्द करने पर आमादा है परिणामतः मिन पीठासीन अधिकारी द्वारा पत्रावली तलब कर अध्ययन करने पर सर्वप्रथम प्रकरण की नौइयत मामले में जानकारी हुई। इस कारण यह आवेदन प्रस्तुत करना लाजिम आया। माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा अपने निर्णय दिनांक 09.02.2012 से न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा को निर्देश दिये थे कि "राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 24.05.2007 व उनके प्रकाश में मण्डल द्वारा जारी पत्र दिनांक 06.01.2010 के आधार पर जांच करे व जांच उपरांत प्रकरण अगर रेफरेंस योग्य हो तो मण्डल को प्रेषित करें।" उक्त आदेश की पालना में न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा द्वारा गुणावगुण व निर्देश की बिना विवेचना किये ही प्रार्थी तहसीलदार लालसोट को कार्यालय में मण्डल के आदेश अनुसार जांच करने हेतु पत्रावली प्रेषित कर दी जबकि मौजूदा प्रकरण में तहसीलदार लालसोट स्वयं प्रार्थी पक्षकार है जो किसी भी तरह मौजूदा प्रकरण के गुणावगुण व माननीय मण्डल के निर्देशों के संदर्भ में निष्कर्ष भिजवाने के लिए सक्षम नहीं है।

अति० जिला कलक्टर
लालसोट (दौसा)

प्रार्थी सं. 01 का कहना है कि इस न्यायालय द्वारा ही मण्डल में निर्णय दिनांक 09.02.2012 की पालना मे स्पीकींग व विस्तृत विवेचन कर गुणावगुण पर निर्णय प्रतिपादित करना है। प्रकरण मंदिर की मूर्ति से संबंधित है। कानून के अनुसार मूर्ति शाश्वत व नाबालिग मानी गई है। अतः खुर्द बुर्द से बचाने की गरज से राजस्व रिकॉर्ड यथा जमाबंदी में पेन्सिल नोट बाबत रिव्यू प्रार्थना–पत्र यथा नोटः– न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा के समक्ष माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के निर्णय दिनांक 09.02.2012 के परिपेक्ष्य में प्रतिपादित न्यायालय हाजा के निर्णय दिनांक 19.07.2016 के क्रम में पुनर्विलोकन हेतु आवेदन प्रेषित किया गया है। वास्ते दास्त नोट अंकित हो। दर्ज किया गया है। प्रार्थी ने उक्तानुसार प्रार्थना पत्र रिव्यू पेश कर रिव्यू प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाने एवं पूर्व न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, दौसा के आदेश दिनांक 19.07.2016 को अपास्त कर प्रकरण पुनः दर्ज करने तथा पुनः माननीय राजस्व मण्डल के निर्णय दिनांक 09.02.2012 में दिये गये निर्देशों के क्रम में विस्तृत स्पीकींग आदेश फरमाते हुये रेफरेंस स्वीकार कर माननीय राजस्व मण्डल को अग्रेषित फरमाने का निवेदन किया।

प्रकरण में रामकिशन वगै0 की ओर से दिनांक 09.02.2022 को प्रा.पत्र 1R10 सीपीसी पेश किया गया जो दिनांक 03.07.2023 को स्वीकार कर संशोधित शीर्षक पेश हुआ। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलवी की गई। अप्रार्थीगण श्यामलाल वगै0 द्वारा जरिए अधिवक्ता रामबाबू शर्मा द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र रिव्यू मय प्रारंभिक आपत्ति इस आशय का पेश किया कि प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश पारित होने दिनांक 19.07.2016 से 5 वर्ष उपरान्त पेश किया गया है जबकि आदेश की जानकारी तहसीलदार को तत्समय में ही हो गई थी क्योंकि प्रकरण अपर न्यायालय द्वारा उन्हे प्रति प्रेषित कर निर्णय की प्रति उसी समय पत्रावली के साथ भिजवा दी गई थी जिसकी जानकारी तहसीलदार लालसोट को भली प्रकार से थी। जानबूझकर यह प्रार्थना पत्र विलंब प्रस्तुत किया है। ऐसी दशा में यह प्रार्थना पत्र समयावधि के बहार होने के कारण खारिज करने योग्य है एवम् इस प्रकरण में अधिवक्ता अप्रार्थीगण रामबाबू शर्मा द्वारा यह भी प्लीड किया है कि प्रश्नगत आदेश दिनांक 19.07.2016 तहसीलदार लालसोट की मौजूदगी में पारित किया गया था जिसकी जानकारी विधिवत् तहसीलदार लालसोट को थी। भारतीय मर्यादा अधिनियम 1963 के अनुच्छेद 124 के तहत कोई भी रिव्यू प्रार्थना पत्र आदेश या निर्णय पारित किए जाने से 30 दिन में पेश किया जा सकेगा। इस प्रकार तहसीलदार लालसोट द्वारा प्रस्तुत रिव्यू प्रार्थना पत्र काल बाधित (मियाद बाहर) होने के कारण स्वीकार किए जाने योग्य नही है।

बहस उभय पक्षकारान सुनी गई । पैरोकार सरकार द्वारा अपने प्रार्थना पत्र रिव्यू को ही बहस होना जाहिर किया। प्रकरण में अधिवक्ता श्री अभयशंकर शर्मा द्वारा भूमि को माफी मंदिर बताते हुए पब्लिक इन्टरेस्ट मानते हुए रिव्यू को सही ठहराया गया। उनके द्वारा अपनी बहस में मूर्ति मंदिर को शाश्वत नाबालिग बताते हुए इस भूमि को पुनः माफी मंदिर दर्ज किए जाने हेतु निवेदन किया जिसका विरोध अधिवक्ता अप्रार्थी रामबाबू शर्मा द्वारा किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। इस पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात एवम् वकील अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत

अति० जिला कलक्टर
लालसोट (दौसा)

कानूनी दृष्टांत RBJ 2020 Page no. 510 का ससम्मान अवलोकन किया गया व इस संबंध में भारतीय मर्यादा अधिनियम 1963 के अनुच्छेद 124 का भी अवलोकन किया गया। यहाँ यह विशेष उल्लेखनीय है कि न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर दौसा के रेफरेंस प्रकरण संख्या 2/2014 पुराना 08/2000 निर्णय दिनांक 19.07.2016 मे तहसीलदार लालसोट को निर्देशित किया गया था कि वह राज्य सरकार परिपत्र दिनांक 24.05.2007 व उसके प्रकाश में माननीय राजस्व मण्डल के पत्र दिनाँक 06.01.2010 और माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर की वृहत्तर पीठ द्वारा पारित निर्णय दिनाँक 15.07.2015 के आधार पर जाँच करे और जाँच उपरांत प्रकरण यदि रेफरेंस योग्य हो तो प्रार्थना पत्र इस न्यायालय मे पेश करे ।प्रकरण मे तहसीलदार द्वारा निर्णय मे प्रदत निर्देशों के क्रम मे पुनः जाँच न कर रिव्यु प्रार्थना पत्र लगाया है । अतः तहसीलदार लालसोट द्वारा प्रस्तुत रिव्यु प्रार्थना पत्र इस निर्देश के साथ ख़ारिज किया जाता है कि न्यायालय अतिरिक्त ज़िला कलेक्टर ,दौसा के पूर्व निर्णय दिनाँक 19.07.2016 रेफरेंस संख्या 02/2014 पुराना 08/2000 में प्रदत्त निर्देशों की पालना मे तहसीलदार लालसोट प्रकरण की जाँच करे और जाँच उपरांत प्रकरण रेफरेंस योग्य पाया जाता है तो रेफरेंस बनाकर न्यायालय में 15 दिवस मे पेश करे तथा तब तक समस्त पक्षकारान रेफरेंस मे वर्णित प्रश्नगत भूमि की मोके और राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे भूमि को खुर्दबुर्द नहीं करे । निर्णय की प्रति तहसीलदार लालसोट को भेजी जाए। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 15/7/24 को उभय पक्ष की मौजूदगी में सरे ईजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(मनमोहन मीना, आरएएस)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
लालसोट,दौसा